बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2002—अग्रहायण 15, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-2-23/2002/1-8.—निम्नलिखित अवर सचिवों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विभाग में पदस्थ किया जाता है :—

स.क्र. (1)	नाम एवं पदनाम (2)	विभाग का नाम (3)
1.	श्री पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.	राजस्व विभाग
2.	श्री आर. पी. वर्मा, अवर सचिव.	सामान्य प्रशासन विभाग

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

(1)	(2)	(3)
3.	श्री व्ही. के. राय, अवर सचिव.	वित्त विभाग
4.	श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव.	वन विभाग

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 1508/2002/1-8/स्था.—श्री बी. के. सिन्हा (भावसे) विशेष सचिव, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग को दिनांक 20-11-2002 से 5-12-2002 तक 16 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19-11-2002 एवं 6-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजय शुक्ला, उप-सचिव, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा को पुन: विशेष सचिव, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग में पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में श्री सिन्हा को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक 1510/2002/1-8/स्था.—श्री रामप्रकाश (भा.व.से.), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव, वन विभाग को दिनांक 23-10-2002 से 18-11-2002 तक 26 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रामप्रकाश को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव, वन विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री रामप्रकाश को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामप्रकाश (भा.व.से.) अवकाश पर नहीं जाते तो वि.क.अ. एवं पदेन सचिव, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-2-13/2002/1-8.—छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं वित्त एवं योजना विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी जा रही है, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग पदस्थ किया जाता है :—

1. श्री एस. के. चक्रवर्ती, पदेन अवर सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग.

2. डॉ. ए. के. सिंह, पदेन अवर सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग.

3. श्री विनोद लाल, पदेन अवर सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2002

क्रमांक 1506/2002/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1425/2002/1-8/स्था. दिनांक 5-10-2002 में श्री आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 4-10-2002 से 22-10-2002 तक 19 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. बाकी सभी शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-2-6/2002/1-8.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 2-8-2002 जो श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की, अवर सचिव, राजभवन सचिवालय के पद पर पदस्थापना संबंधी है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रहास बेहार, विशेष सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-5-10/2001/खाद्य/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (क्र. 68 सन् 1986), की धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति महोदय के परामर्श से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री व्ही. के. अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के अध्यक्ष के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

न्यायमूर्ति श्री व्ही. के. अग्रवाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा उनकी 67 वर्ष की आयु जो भी पूर्व में हो, रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ-5-10/2001/खाद्य/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-11-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th November 2002

No. F 5-10/2001/Food/29.—In exercise of the powers conferred by Clause (A) of Sub section (1) of Section 16 of Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986), the State Government in consultation with the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, Bilaspur is pleased to appoint Shri Justice V. K. Agrawal, Retired Judge of Madhya Pradesh High Court as President of Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur.

The term of the office of Shri Justice V. K. Agrawal, as President shall be for period of 5 years or upto the age of Sixty-seven years, whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattigarh.
PANKAJ DWIVEDI, Principal Secretary.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2002

क्रमांक 203/265/स./ऊ. वि./2002.—राज्य शासन, धारा 5, भारतीय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 सहपठित धारा 58 (4) म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा श्री मनोरंजन कुमार (आई. ई. एस. 1986), संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की अवधि हेतु सदस्य (वित्त), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, रायपुर नियुक्त करता है. प्रतिनियुक्ति की शर्तें पृथक् से प्रसारित की जाएंगी.

Raipur, the 6th November 2002

No. 203/265/S/E/MF/2002.—In exercise of the power conferred by Section 5 of Indian Electricity Act-1948 read with Sub-section 58 (4) of M. P. Re-organization Act, 2000, the State Government hereby appoints temporarily Shri Manoranjan Kumar (I. E. S. 1986) Director, Government of India, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Company Affairs as Member (Finance) Chhattisgarh State Electricity Board

on deputation basis for a period of two years from the date of assuming charge.

The terms and conditions of the appointment shall be issued separately.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2002

क्रमांक डी-5342/6022/आजाक/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एच. यू. खान, (रा. प्र. से.) अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अपने कार्य के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. ठाकुर, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2002

क्रमांक ए-1-ए/14/2002/14-1.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 90/2002, दिनांक 11-9-2002 के द्वारा निम्नलिखित सहायक संचालक कृषि, राजपत्रित वर्ग-2, की सेवायें अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है.

क्र.	अधिकारी का नाम	भारत शासन द्वारा जारी सूची का क्र.	पदस्थापना कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एन. के. दीक्षित	78	उप-संचालक, कृषि अंबिकापुर.
2.	श्री के. सी. गुप्ता	367	उप-संचालक, कृषि कवर्धा.
3.	श्री डी. पी. दीक्षित	375	उप-संचालक, कृषि जशपुर.
4.	श्री आर. के. राठौर	26	उप-संचालक, कृषि दुर्ग.
5.	कुमारी मनीषा वर्मा	31	आंचलिक प्रबंधक, कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2002

क्रमांक 1891/248/35/2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (दो) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, नियम, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966.
2.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) पशुचिकित्सा सेवा भर्ती नियम, 1971.
3.	मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विभाग के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1979.
4.	मध्यप्रदेश पशु पक्षी बलि प्रतिशोध अधिनियम, 1979.

Raipur, the 14th November 2002

No. 1891/248/35/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of Laws Order, 2002.

(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject to the modification that in all the Laws for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in forced in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Veterinary Services (Gazetted) Recruitment Rules, 1966.
2.	Madhya Pradesh Veterinary Services (Non-gazetted) Ministerial Recruitment Rules, 1971.
3.	Madhya Pradesh Veterinary Department Contingency paid employees Recruitment and Condition of Services Rules, 1979.
4.	Madhya Pradesh Pashu Pakshi Bali Pratishedh Adhiniyam, 1979.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2002

क्रमांक 2669/1719/2002(6)/11.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 2332/2002/1/2, दिनांक 4-9-2002 द्वारा श्री एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें का स्थानान्तरण सचिव, लोक आयोग, रायपुर के पद पर होने के कारण डॉ. वी. एस.

अनन्त, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग अपने कार्यों के साथ-साथ आगामी आदेश पर्यन्त रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, छत्तीसगढ़ के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन करेंगे. डॉ. अनन्त को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा (4) एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58 (1) के तहत रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां प्रदत्त होंगी.

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. राघवन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2643/1663/2002/वा.उ..—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(दो) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, नियम, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969.
2.	मध्यप्रदेश मितिपयोजक नियम, 1959.
3.	मध्यप्रदेश बालयर परिचारक नियम, 1958.
4.	मध्यप्रदेश बायलर चालन इंजीनियर नियम, 1968.

Raipur, the 31st October 2002

No.2643/1663/2002/वा. उ..—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of laws order, 2002

(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh, until repealed or amended Subject to the modification that in all the Laws for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Boilers Rules, 1969.
2.	Madhya Pradesh Economiser Rules, 1959.
3.	Madhya Pradesh Boilers Attendants Rules, 1958.
4.	Madhya Pradesh Operation Engineers rules, 1968.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 11 नवम्बर 2002

प्रकरण क्र. 27-अ/82/97-98.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	केसमर्दा प. ह. नं. 1/2	185.862	उप महा प्रबंधक (भौमिकी) भारत एल्युमिनियम कंपनी, कोरबा.	खनिज उत्खनन हेतु भूमि का अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2002

क्रमांक 01/अ-82/2002-2003/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	देवरीखुर्द	0.700	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना बिलासपुर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2002

क्रमांक 02/अ-82/2002-2003/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पंधी	0.344	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), बिलासपुर.	खारून नदी पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/693.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पोता प. ह. नं. 6	11.930	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 4, डभरा.	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/694.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प. ह. नं. 8	3.713	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 4, डभरा.	हरदी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/695.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मरकाम गोढ़ी प. ह. नं. 7	1.068	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	गढ़गोढ़ी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/696.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध,उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मसनिया कला प. ह. नं. 6	3.909	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	गढ़गोढ़ी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/697.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मसनिया खुर्द प. ह. नं. 6	1.989	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	गढ़गोढ़ी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/698.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जिरलाडीह प. ह. नं. 3	0.984	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	चमरा बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/699.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रगजा प. ह. नं. 6	0.926	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	रगजा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/700.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	कांदानारा प. ह. नं. 7	0.999	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	रगजा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/701.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	कांदानारा प. ह. नं. 7	1.352	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया.	कांदानारा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/702.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	किकिरदा प. ह. नं. 24	3.346	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 2, चाम्पा.	किकिरदा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/703.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध,उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	किकिरदा प. ह. नं. 24	3.466	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 2, चाम्पा.	किकिरदा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/704.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	किकिरदा प. ह. नं. 24	3.217	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 2, चाम्पा.	किकिरदा माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/705.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	किकिरदा प. ह. नं. 24	2.764	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 2, चाम्पा.	करही माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/706.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	करही प. ह. नं. 24	4.266	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 2, चाम्पा.	करही माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/707.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बाराद्वार बस्ती प. ह. नं. 15	1.463	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 6, सक्ती.	तलवा सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/708.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	झालरौंदा पं. ह. नं. 3	6.819	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 6, सक्ती.	झालरौंदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/709.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	चिखलरौदा प. ह. नं. 4	2.270	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 6, सक्ती.	झालरौदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/710.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	झरना प. ह. नं. 7	0.662	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 6, सक्ती.	लहंगा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/711.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देशदेता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	दूरपा प. ह. नं. 16	3.601	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 6, सक्ती.	लहंगा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/712.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	भूरकाडीह प. ह. नं. 6	3.375	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 6, सक्ती.	लहंगा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/713.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियां का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध,उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची.

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	भूरकाडीह प. ह. नं. 6	2.303	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 6, सक्ती.	लहंगा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु..

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 7734/1/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	पहाड़ हंसवाही	2.392	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.).	गुड़रू व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 7734/2/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	घोड़बंधा	0.830	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.).	गुड़रू व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 7734/3/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	श्रीरामपुर	0.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.).	खरला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 7734/4/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कछौड़	0.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.).	कछौड़ तालाब के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 7734/5/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	चोपन	6.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बांध का निर्माण.

कोरिया, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 7734/6/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	कोट	3.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.).	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बांध का निर्माण.

कोरिया, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 7734/7/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	1. नगर	1.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.).	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बांध का निर्माण.
		2. रटगा	0.21		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2002

क्रमांक वा-1/भू-अर्जन/01/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-गरियाबंद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.950 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53/5	1.006
54/2	0.214
61/1	0.032
61/2	0.126
61/3	0.202
61/4	0.202
60	0.040
75, 76	0.048
77	0.040
848/1	0.040
योग	1.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-100 विस्तर अस्पताल भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 6576/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बचरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/1	0.40
9	0.10
53	0.02
54	0.15
60	0.08
70	0.32
84	0.22
110	0.15
111	0.84
114	0.38
115	0.04
116	0.10
148	0.16
149	0.10
योग 14	2.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बचरा जलाशय दायीं तट नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 6577/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे साल्ही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
228	0.06
433	0.16
507	0.29
516	0.16
525	0.35
528	0.05
534	0.02
536	0.14
540	0.16

(1)	(2)
541	0.11
योग 10	1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बचरा जलाशय दायीं तट नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.436 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
506/3	0.053
507	0.065
508/3	0.073
508/4	0.040
526	0.113
527	0.157
528/2	0.049
530/3	0.021
532	0.093
546/2	0.012
535	0.210
536	0.081
538	0.076
539/1	0.089
540	0.049
539/2	0.085
545/2	0.028
539/3	0.089
541/1	0.053
योग 19	1.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सोड़ेकला जलाशय के स्पील चैनल निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 11 जून 2002

प्र. क्र. 02/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कवर्धा

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-सुरजपुरा, प. ह. नं. 60

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.35 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/1	0.90
158/2	0.46
156/2	0.19
153/1	0.19
155	0.17
154	0.01
153/2	0.02
153/3	0.02
75/1	0.10
75/3	0.09
75/5	0.12
148/1	0.24
147	0.23
145/3	0.10
145/1	0.43
403/1	0.28
403/2	0.28
398	1.04
396/1	0.12
396/2	0.12
457/1-4	0.13
457/5	0.13
461/1-2	0.12
462	0.18
465	0.53
467/3	0.19
520	0.68
468	0.18
517/1	0.20
517/2	0.04
518	0.17
516/1	0.17
516/2	0.09
311/1	0.20
511/2	0.20
519	0.03
योग 36	8.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—राजपुर व्यपवर्तन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. केहरि, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 936/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-मुंगलाटोला, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
39/3	0.07
39/4	0.32
योग	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सुरही कर्रा व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

क्रमांक 1-अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
 (ख) तहसील-सूरजपुर
 (ग) नगर/ग्राम-बैजनाथपुर, प. ह. नं. 12
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.46 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	46	0.04
	47	0.04
	48/2	0.35
	49	0.13
	50	0.06
	55	0.26
	58	0.82
	59	0.30
	60	9.18
	63	0.60
	65	0.43
	75	0.92
	77	0.32
	78	0.33
	82	0.12
	84	0.40
	86	0.10
	89	0.05
योग	18	5.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैजनाथ-पुर जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

क्रमांक 2-अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
 (ख) तहसील-सूरजपुर
 (ग) नगर/ग्राम-गिरजापुर, प. ह. नं. 10
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
402	1.11
403	0.26

(1)	(2)
400 514	0.12
योग 3	1.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गिरजापुर जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 सितम्बर 2002

क्रमांक 4-अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कनकपुर, प. ह. नं. 73
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
167/1	0.06
167/2	0.06
168/2	0.016
170	0.04
177	0.04
179	0.004
180	0.07
182	0.05
201/1	0.02
201/2	0.03
203	0.07
205	0.03
206	0.03
209	0.02
210	0.05
211	0.03
212	0.05
213	0.05
214	0.05
215	0.05
216	0.01
341	0.06
340	0.01
347	0.007
348/1	0.06
348/2	0.05
385/1	0.06
386	0.007
388	0.05
389/1	0.01
396	0.02
397	0.04
398	0.03
428	0.06
429	0.01
432	0.04
434	0.10
509	0.10
510	0.03
511	0.20
512	0.22
513	0.07
514	0.47
515	0.30
516	0.13
517	0.29
518	0.50
519	0.34
520	0.10
520	0.05
521	0.03
521	0.02

(1)	(2)
522	0.08
523	0.04
524	0.05
525	0.05
526	0.13
528	0.02
532	0.05
533	0.05
534	0.13
535	0.09
536	0.33
537	0.54
540	0.15
542	0.44
543	0.22
544	0.27
580	0.02
581	0.04
582	0.07
591	0.36
594	0.06
595	0.81
596	0.37
597	0.11
598	0.16
600	0.45
601/1	0.50
601/2	0.50
601/3	0.48
621	0.05
633	0.35
662	0.27
663	0.03
664	0.07
668	0.01
692/1	0.09
692/2	0.15
693	0.04
696/1	0.03
696/2	0.03
696/3	0.01
योग 93	12.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कनकपुर जलाशय के डूबान, स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 सितम्बर 2002

क्रमांक 5-अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-कृष्णपुर, अगस्तपुर, परसापारा, उरउल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.85 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम कृष्णापुर, प. ह. नं. 58	
1651	0.07
1652	0.12
1654	0.08
1655	0.02
1658	0.05
1659	0.02
1660	0.06
1664	0.09
1666/1	0.08
1666/2	0.03
1668	0.02
1669	0.01
1674	0.01
1675	0.02
1684	0.03
1685	0.15

(1)	(2)
1693	0.25
1694	0.08
1802	0.40
1803	0.01
1804	0.05
1805	0.06
1806	0.18
1807	0.03
योग 24	1.92

ग्राम अगस्तपुर, प. ह. नं. 58

482	0.03
483	0.08
484	0.17
488	0.08
489/1	0.11
489/2	0.41
489/3	0.16
493	0.01
494	0.07
551	0.08
552	0.04
555/2	0.27
555/3	0.02
555/4	0.02
564	0.26
572	0.01
योग 16	1.82

ग्राम परसापारा, प. ह. न. 56

2	0.10
3	0.04
14	0.21
15	0.09
19	0.10
20	0.03
72	0.06
73	0.03
74	0.07
201	0.01
202	0.07
203	0.04
206	0.05
207	0.02
208	0.03
209	0.05
210	0.03
211	0.03
213	0.01
723	0.01
724	0.22
725	0.01
733/1	0.06
734	0.06
735	0.01
736	0.01
739	0.01
740	0.03
741	0.04
742	0.05
योग 30	1.58

ग्राम बरउल, प. ह. नं. 56

525	0.02
528/1	0.15
528/2	0.08
528/3	0.04
530	0.09
548	0.07
549	0.08
योग 7	0.53
महायोग	5.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कृष्णपुर जलाशय के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./16/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.289 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26	0.024
32	0.004
27	0.144
33/2	0.020
31	0.097
योग	0.289

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरनई परियोजनान्तर्गत नावापारा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./17/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.558 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
178	0.558
योग	0.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरनई परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./23/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुरका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.880 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
853	0.020

(1)	(2)
708	0.040
731/1	0.056
707	0.016
735/4	0.061
714	0.162
680	0.064
731/2	0.076
668	0.061
572/32	0.089
756	0.256
669/1	0.008
706/1	0.069
726	0.056
742	0.117
659	0.256
666	0.020
670	0.024
572/38	0.113
757/2	0.020
729	0.046
705/1	0.040
740	0.056
682	0.202
658	0.040
680	0.080
572/62	0.121
572/66	0.121
728	0.052
703/1	0.121
725	0.162
652	0.208
663/1	0.020
678	0.061
704	0.020
759	0.296
727	0.056
990	0.184
713	0.040
653	0.121
665	0.056
679	0.081
योग	3.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुकां जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./31/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.038 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
470	0.038
योग	0.038

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरनई परियोजनान्तर्गत नावापारा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./32/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-राजपुर

(ग) नगर/ग्राम-उलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.596 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/64	0.004
138	0.008
164	0.773
178	0.049
182/5	1.295
118	0.096
136/11	0.072
142	0.040
168	0.081
180	0.380
145/10	1.306
156/3	0.170
143	0.024
169	0.016
136/19	0.547
182/10	0.849
163/3	0.032
147	0.498
170	0.085
156/2	0.595
182/9	0.134
177/2	0.688
148	0.174
176	0.089
145/1	0.397
117	0.194
योग	8.596

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—उलिया जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-अमसेना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104/2	0.242
योग	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 9/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-दबेना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.177 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
258/2	0.040
258/3	0.117
285/3	0.020
योग	0.177

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहतराई जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2002

प्र. क्र. 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-कोपरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
440/2	0.101
योग 1	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 11/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-बेलमुंडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8	0.174
377/5	0.020
योग 2	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा जलाशय डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 12/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सैदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7/2	0.186
	75/3	0.202
योग	2	0.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा जलाशय डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 13/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोपरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	326	0.041
	192	0.303
योग	2	0.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा जलाशय नहर एवं डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 14/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कबरा कापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.376 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/48	0.344

(1)	(2)
55/2	0.032
योग 2	0.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 15/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सैदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
78	0.514
72/4	0.566
72/3	0.870
72/5	0.323
72/6	0.404
72/12	0.068
72/10	0.101
72/13	0.101
72/2	0.445
67/5	0.271
68/1	0.068
75/2	0.303
75/4	0.161
75/5	0.081
78/1	0.157
55/5	0.923
67/3	0.165
32/14	0.105
21	0.040
103/1	0.299
55/6	0.923
55/2	0.923
6/4	1.995
16	0.083
6	0.202
2/4	0.364
24	0.178
31/4	0.283
11/1	0.311
6/1	0.404
81/1	0.194
79/1	0.044
59	0.323
57/1	0.477
55/2	1.214
140/3	0.227
87/3	0.161
73/1	0.315
19	0.153
12	0.372
127/1	1.255
127/5	0.526
127/4	0.554
127/2	0.570
75/1	0.161
76/1	0.040
77	0.327
6/3	0.226
11/2	0.202
15	0.097
18/1	0.202
16	0.129
11/2	0.242
17/2	0.336
योग	20.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा जलाशय डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 16/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उड़ेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/1	0.036
45/7	0.032
योग 2	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 17/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बहतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.906 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
438	0.105
345	0.157
356	0.161
357	0.198
358/1	0.048
358/2	0.044
359	0.080
360	0.161
869	0.145
870	0.109
899	0.125
900	0.194
901	0.327
885	0.437
877	0.097
846	0.202
847	0.125
840/2	0.202
841	0.242
842	0.315
843	0.242
861/1	0.404
861/2	0.366
362/1	0.141
910	0.283
882	0.182
905	0.178
909	0.076
876	0.097
872/1	0.218
872/2	0.161
836/1	0.340

(1)	(2)
862/2	0.283
863	0.125
234/4	0.008
236/2	0.024
883	0.097
423	0.024
882	0.141
887	0.024
432	0.028
योग	6.906

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोपरा जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-घाघरा, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.187 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
119/[illegible]	0.202
120/[illegible]	0.121
121/[illegible]	0.146
3	0.469
119/2	0.061
119/5	0.162
121/1	0.162
3	0.385
119/1	0.061
119/6	0.162
121/2	0.150
3	0.373
119/4	0.162
120/2	0.162
121/3	0.150
3	0.474
122/2	0.486
योग 13	2.187

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाघरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 4/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-घाघरा, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.223 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5/2	0.057

	(1)	(2)
	5/3 9/3	0.057
	5/1 9/2	0.061
	5/5 9/2/3	0.024
	5/4 7/2	0.024
योग	5	0.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है--घाघरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-पड़रिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.414 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
357/1	0.376
465/1	0.049
436/1	0.202
107/5	0.049
366	0.061
93/6	0.036
297/1	0.040
297/4	0.036
93/4	0.020
93/7	0.016
447	0.065
463/2	0.028
464/1	0.061
107/7	0.049
298	0.032
303	0.065
305	0.085
304/2	0.040
306/2	0.045
361	0.008
362	0.069
456/2	0.045
374/2	0.045
439	0.117
445	0.069
297/3	0.040
297/6	0.045
93/5	0.032
304/1	0.045
306/1	0.121
84/1 ख	0.040
107/6	0.049
433/1	0.081
465/4	0.113
461	0.024
107/1	0.049
367	0.113
375/4	0.097
319/2	0.085
460/1	0.004
462/1	0.045
77/1	0.028
81	0.186
444	0.024
446/1	0.020
463/1	0.028

(1)	(2)
78/1	0.065
84/1क	0.040
84/2	0.146
320	0.016
460/2	0.016
462/2	0.028
80	0.210
93/1	0.032
107/3	0.049
85	0.045
93/2	0.036
297/2	0.040
297/5	0.028
77/3	0.028
481/1 466 482	0.073
433/2 433/3	0.081
78/2	0.101
107/4	0.053
442/3	0.028
442/2	0.028
442/4	0.025
93/9	0.036
107/2	0.049
375/3	0.101
319/1	0.081
योग 71	4.414

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाघरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक. 11/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-तेन्दूमूड़ा, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.138 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
26/1	0.182
35/3	0.057
33/1	0.138
34/1	0.121
37/1	0.008
43/1	0.077
29/3 ग	0.053
35/2	0.097
29/3 क	0.198
35/1	0.109
35/5	0.020
14/2	0.045
20/2	0.032
योग 13	1.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खुदरी जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 17/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-करहनी, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.930 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
853/4	0.121
872/4	0.089
872/6	0.304
879/7	0.057
882	0.162
876/1	1.003
876/4	0.445
876/6	0.024
879/1	1.933
884/1	0.121
854	0.299
872/1	0.910
872/3	0.105
872/5	0.125
879/2	0.283
879/3	0.073
853/5	0.210
855/2	0.081
871	0.494
872/2	0.291
877	0.142
879/6	0.113
853/3	0.263
876/5	0.089
879/5	0.344
881	0.607
116	0.381
876/2	0.534
878	0.162
859/3	0.174
860	1.081
870/3	0.485
870/2	0.182
874	0.745
875	0.308
876/3	0.154
879/4	0.243
859/2	0.931
880	0.073
859/1	1.790
योग 34	15.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कांशीनाला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 22/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-टंगियामार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.130 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
52/2	0.105
220	0.283
221/2	0.105
223/2	0.040

(1)	(2)
319	0.170
26/2	0.020
27/2	0.065
24	0.053
25/2, 27/3	0.076
52/1	0.117
56/1	0.057
269	0.073
317/1	0.089
33	0.186
44	0.069
223/3	0.117
275	0.227
317/2	0.158
318/1	0.057
28/2	0.053
39	0.028
38	0.113
46	0.247
53	0.368
223/1	0.279
224	0.162
238/1	0.421
54/1	0.024
37	0.032
215	0.045
237/2	0.105
228	0.036
34/3	0.097
34/2	0.053
योग 34	4.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाघरा जलाशय की शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 24/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-करहनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.429 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
427	0.049
436	0.324
446	0.049
981	0.105
327/1	0.113
536/1	0.036
447	0.049
981	0.105
531	0.089
1038	0.117
719/1	0.077
979	0.036
982	0.061
539/1	0.061
451/1	0.020
1052/1	0.170
827, 828/2	0.231
824/1	0.291
963/1	0.206
539/2	0.061
353	0.004
428	0.150
429/2	0.061
329/2	0.061
534/1	0.016
520/5	0.036
934	0.105
717/2	0.142
330, 359	0.085
354	0.041
355	0.073
978	0.077

(1)	(2)
311	0.057
312/2	0.061
990	0.004
352	0.004
988	0.016
826/1	0.073
358	0.069
530	0.065
975	0.178
1036	0.113
448/1	0.021
724	0.194
723	0.081
526	0.061
713	0.198
532	0.008
306	0.061
307	0.028
305/1	0.041
327/2	0.113
536/2	0.032
826/3 826/7	0.008
328	0.065
535	0.085
714	0.137
539/3	0.061
890	0.004
980/1	0.024
824/2	0.089
718	0.117
305/2	0.036
356	0.053
357	0.085
732/1	0.028
310	0.045
969 970	0.117
योग 45	5.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कांशीनाला जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 37/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सोनबचरवार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.577 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
16	0.170
1/5	0.769
1/3	0.384
1/1	0.769
5/1	0.174
20/11 ख	0.291
1/4	0.384
1/2	0.713
7	0.162
8	0.454
20/11 घ	0.170
20/11 क	0.291
17	0.138
18	0.291
5/2	0.166
20/11 ग	0.251
योग	5.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाघरा जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 38/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-हर्राडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
194	0.077
219	0.138
293/2	0.028
291/4	0.049
391	0.158
221	0.117
7/2	0.093
7/5	0.024
9	0.065
394/5	0.036
394/6	0.020
396	0.073
340/1	0.134
390	0.069
393	0.061
400/1 ख	0.020
294	0.223
313/1	0.146
208/2	0.045
309/1	0.016
208/4	0.129
209	0.150
201/3	0.271
201/4	0.028
222/2	0.085
317	0.138
316	0.113
392	0.113
380	0.396
382	0.036
394/2	0.045
394/3	0.077
202	0.004
315	0.125
217	0.053
7/1	0.024
10	0.065
11	0.162
338	0.134
340/3	0.061
309/2	0.117
311	0.085
291/14	0.081
343/7	0.081
343/9	0.081
344/2	0.032
344/3	0.032
310/1	0.150
220/1	0.129
291/16	0.081
योग 48	4.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाघरा जलाशय शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 39/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-बरीउमराव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.369 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
544	0.045
545/3	0.069
483	0.024
447	0.045
484/1	0.186
योग 5	0.369

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 40/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ((क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-हर्राडीह, प. ह. नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.968 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
289	0.101
273/1	0.057
269	0.032
317	0.012
260/2	0.101
316	0.085
257	0.073
272/2	0.093
315	0.008
258	0.053
256	0.077
272/1	0.077
271	0.053
287	0.069
288	0.077
योग 15	0.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाघरा जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-पतगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.541 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1432/1	0.089
1433/1	0.190
1438/2	0.271
1440/4	0.089
1441	0.210
1433/2	0.061
1434/1	0.194
1434/2	0.235
1435	0.202
1439/5	0.032
1439/2	0.146
1439/3	0.057
1440/2	0.012
1443/7	0.081
1439/6	0.081
1439/7	0.121
1440/1	0.445
1440/3	0.040
1442	0.364
1443/2	0.526
1443/3	0.324
1443/4	0.020
1443/5	0.040
1443/6	0.121
1443/8	0.947
1443/13	0.154
1443/14	0.223
1443/18	2.266
योग 28	7.541

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अपर खुज्जी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 15/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गिरारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.620 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
13	1.019
27	0.648
432/1	0.559
433	0.146
9/3	0.676
10	0.097
11	0.170
30	0.760
6/2	0.032
9/4	0.303
4/1	0.178
4/5	0.045
474/2	0.040
47	0.567
41/1	0.291
8/3	0.012
37	0.089
38	0.615
39/2	0.073
7/1	0.206
40/2	0.024
6/1	0.615
9/1	0.182
434/2	0.380

(1)	(2)
31	0.409
34/2	0.229
35/2	0.049
39/1	0.405
2/3	0.263
7/2	0.198
8/1	0.032
9/2	0.182
2/2	0.344
2/6	0.129
41/2	0.154
46/1	0.364
449	0.016
450/2	0.109
34/1	0.223
35/1	0.109
36	0.097
2/4	0.405
2/5	0.745
41/3	0.154
3	0.020
4/2	0.263
5	0.024
32	0.380
33	0.696
45	0.271
4/3	0.081
4/4	0.146
434/1	0.405
योग 52	14.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अपर खुंजी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 36/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-जाटादेवरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.251 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
452/2	0.069
458/2	0.138
458/3	0.186
470/1 ख	0.097
453	0.194
454	0.239
455	0.028
469	0.081
470/2 क	0.150
452/3	0.069
योग 7	1.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाघरा जलाशय शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 41/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-टंगियामार, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.700 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
74/2	0.085
297/2	0.162
62	0.069
72	0.069
286	0.085
75/1	0.036
303	0.036
164	0.061
71	0.093
302	0.069
157	0.138
77	0.138
163/2	0.085
163/3	0.085
285	0.040
74/1	0.049
238/3	0.024
61	0.020
276	0.065
300	0.057
237/1	0.024
275	0.150
277/1	0.117
278/1	0.117
296/2	0.024
278/2	0.028
299/2	0.085
63	0.154
301	0.085
64/1	0.093
44	0.117
299/1	0.069
158	0.170
योग 33	2.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घाघरा जलाशय माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 सितम्बर 2002

क्रमांक क/18954/बंधक श्रमिक/2002.—बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2) एवं 13 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जांजगीर-चांपा (छ. ग.) निम्नांकित सदस्यों को नामांकित करते हुए बंधक श्रमिक जिला सतर्कता समिति का गठन करता हूं.

1.	श्री आर. जी. के. पिल्लई, अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा	-	अध्यक्ष
2.	" चैन सिंह सामले, विधायक, मालखरौदा (अ. ज. जा.)	-	सदस्य
3.	" बंशीलाल कुर्रे, ग्राम टिंगीपुर, (अ. जा.)	-	सदस्य
4.	" हरिसिंह सिदार-सक्ती, (अ. ज. जा.)	-	सदस्य
5.	" रघुराज पांडेय, जांजगीर, (सामाजिक कार्यकर्त्ता)	-	सदस्य
6.	श्रीमती शशीकांता राठौर, अधिवक्ता, जांजगीर (सामाजिक कार्यकर्त्ता)	-	सदस्य
7.	श्री सुशील कुमार तिग्गा, उप पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा	-	सदस्य
8.	जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण विभाग, जांजगीर-चांपा	-	सदस्य
9.	ब्रांच मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, नैला	-	सदस्य
10.	श्री अजय मिश्रा, विकास खंड अधिकारी, जीवन बीमा-निगम, जांजगीर-चांपा.	-	सदस्य

एम. के. पिंगुआ,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अगस्त 2002

क्रमांक 15699/क/ख. लि./2002.—म. प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जांजगीर-चांपा, छ. ग. में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 30 दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	खनिज (7)	विवरण (8)
1.	जांजगीर-चांपा.	जांजगीर	बिरगहनी	160	2.00 ए.	चूना-पत्थर	शासकीय भूमि
2.	—"—	—"—	बिरगहनी	160	2.00 ए.	—"—	—"—
3.	—"—	—"—	दर्राभाठा	406, 432	2.00 ए.	—"—	—"—
4.	—"—	—"—	बिरगहनी	294/1	2.00 ए.	—"—	—"—

आर. बी. के. पिल्लई,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/ख.लि./खु.घो./2002.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 12 के अंतर्गत चूनापत्थर खनिज के लिये नीचे सूची में दर्शाये गये क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिये उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

सूची

अनु. क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प. ह. नं. (3)	तहसील (4)	खसरा नं. (5)	रकबा (6)	अन्य (7)
1.	खपरीडीह	156/18	कसडोल	154/1क/7	2.60 एकड़	निजी भूमि
				अन्य :—श्री सुन्दसाय को दिनांक 20-3-97 से 19-3-2002 तक के लिये चूनापत्थर खदान स्वीकृत थी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है.		
2.	बरभाठा	7	राजिम	88/1	1.40 एकड़	शासकीय भूमि
				अन्य :—अध्यक्षा, श्रीमती राम्हीनबाई हरिजन महिला सहकारी समिति बासीन बरभाठा के नाम चूना-पत्थर उत्खनि पट्टा लीज स्वीकृत थी. लीज अवधि दिनांक 2-9-97 से 1-9-2002 तक के लिये स्वीकृत रहा. लीज अवधि समाप्त हो गया है.		

जे. मिंज,
अपर कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2002

क्रमांक 2146/II-2-78/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर को दिनाक 4-4-2002 से दिनांक 13-4-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14-4-2002 से सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला दास उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 25th September 2002

No. 5079/Confdl./II-2-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the table below from the place shown in column No. (3) to the place shown in the column No. (4) and posts them as District Judge of the Civil District mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their Office :—

In exercise of the powers conferreed by sub-section (2) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Sessions Judge for the Sessions Division specified against their respective names in column No. (5) of the table below:—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Ranganath Chandrakar (On return from deputation from the post of Registrar, State Administrative Tribunal, Raipur).	Raipur	Durg	Durg	Civil District Durg. As District & Sessions Judge vice Shri D. K. Damle.
2.	Shri Rajeshwarlal Jhanwar (On return from deputation from the post of President, District Consumer Forum, Bilaspur).	Bilaspur	Bastar	Bastar	Civil District Bastar. As District & Sessons Judge.
3.	Shri Tarachand Yadu (On return from deputation from the post of Additional Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Law Department, Raipur).	Raipur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Civil District Rajnandgaon. As District & Sessions Judge.

बिलासपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2002

क्रमांक 5073/तीन-22-3/2002.—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 4221/तीन-22-3/2002 दिनांक 6-8-2002 जहां तक उसका संबंध अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ की श्रृंखला न्यायालय बैकुंठपुर से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 25th September 2002

No. 5073/III-22-3/2002.—The Notification No. 4221/III-22-3/2002, dated 6-8-2002 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far as it relates holding Link Court of Additional District and Sessions Judge, Manendragarh at Baikunthpur is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2002

क्रमांक 5075/तीन-6-6/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी अधिसूचना क्रमांक 1158/तीन-6-6/2001 दिनांक 15 फरवरी 2002 को अतिष्ठित करते हुये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या क्र. 1/8/79/21-ब (एक) दिनांक 21 नवम्बर 1995 के द्वारा—

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944.

2. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992.

3. कम्पनी अधिनियम, 1956.

4. धनकर अधिनियम, 1957.

5. दानकर अधिनियम, 1958.

6. आयकर अधिनियम, 1961

7. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962.

8. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963.

9. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964.

10. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, एवं

11. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973.

के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में निर्दिष्ट न्यायिक मैजिस्ट्रेटगण को स्तम्भ क्रमांक (3) में निर्दिष्ट मुख्यालयों पर स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिला) (4)
1.	श्री अग्रलाल जोशी, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	बिलासपुर	बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा-स्थान अंबिकापुर.
2.	श्री सिप्रियेल खेस, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव.
3.	श्रीमती मीनाक्षी गोंडले, अति. मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट.	रायपुर	रायपुर, बस्तर-स्थान जगदलपुर.

Bilaspur, the 25th September 2002

No. 5075/III-6-6/2001.—In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), and in Supersession of its Notification No. 1158/III-6-6/2001, dated 15th February 2002. The High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the Judicial Magistrates specified in column No. (2) of the Schedule below as Presiding Officers of the Courts of Special Judicial Magistrates First Class established by the Government of Madhya Pradesh under the proviso to Sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. F-1/8/79/XXI-B (I) dated 21st November, 1995 with their head quarters specified in the corresponding entry in column No. (3) for the area specified in Column No. (4) of the schedule from the date they assume charge of their offices for the trial of cases relating to the offences punishable under :—

1. The Central Excise and Salt Act, 1944.
2. The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.
3. The Companies Act, 1956.
4. The Wealth Tax Act, 1957.
5. The Gift Tax Act, 1958.
6. The Income Tax Act, 1961.
7. The Customs Act, 1962.
8. The Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.
9. The Companies (Profits) Surtax Act, 1964.
10. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, and
11. The Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

TABLE

S. No. (1)	Name of the Presiding Officer of the Special Court (2)	Head Quarter (3)	Local Area (Civil Districts) (4)
1.	Shri Agralal Joshi, Chief Judicial Magistrate	Bilaspur	Bilaspur, Raigarh, Surguja at Ambikapur.
2.	Shri Siprial Xess Chief Judicial Magistrate.	Durg	Durg, Rajnandgaon.
3.	Smt. Meenakshi Gondle Additional Chief Judicial Magistrate.	Raipur	Raipur, Bastar at Jagdalpur.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. झा, रजिस्ट्रार (सतर्कता).